पत्रांक–5/यो 01–11/2015 (अंश) ....1609....

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, नेपाल हाऊस कैम्पस, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

संकल्प

विषयः– विभागीय संकल्प संख्या–1755, दिनांक–10.09.2015 के आलोक में राँची विश्वविद्यालय, राँची के मुख्यालय एवं विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों में सेवा दे रहे नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षकों की सेवा आवश्यकता आधारित शिक्षकों के रुप में करने के संबंध में।

राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने एवं सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment Ratio) दर में वृद्धि के लिए विभागीय संकल्प संख्या–1755, दिनांक–10.09.2015 के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में दो पालियों में कक्षा के संचालन का निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत दो पालियों में पठन–पाठन का कार्य करने वाले शिक्षकों को निम्न रूप से पारिश्रमिक का भुगतान करने का निर्णय लिया गया :–

क्र० सं०	शिक्षक का प्रकार	कक्षा	पारिश्रमिक प्रति कक्षा
1	महाविद्यालयों के नियमित शिक्षक	20–30 कक्षा	रू0 300/– प्रति कक्षा
2	सेवा निवृत शिक्षक	20–40 कक्षा	रू0 600/– प्रति कक्षा
3	नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित	अधिकतम 60 कक्षा	रू0 500/– प्रति कक्षा

2. विभागीय संकल्प संख्या–516, दिनांक–02.03.2017 द्वारा राजकीय विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य के सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर तत्कालीन अस्थायी व्यवस्था के तहत घंटी आधारित शिक्षकों की सेवा कुलपति की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा अनुमोदित पैनल पर लेने की अनुशंसा की गयी।

3. विभागीय संकल्प संख्या–1040, दिनांक–11.05.2023 द्वारा राजकीय विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित शिक्षकों के नाम को संशोधित करते हुए आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापक किया गया तथा उनके मानदेय में वृद्धि, सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित/बैकलॉग नियुक्ति तक पैनल के अवधि विस्तार सहित अन्य दिशानिदेश निर्गत किए गए।

4. झारखण्ड नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षक संघ द्वारा आवेदन के माध्यम से नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षकों को आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापक मानते हुए संबंधित लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में आवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में विदित हुआ कि राँची विश्वविद्यालय, राँची के अलावे किसी अन्य राजकीय विश्वविद्यालय में नेट उत्तीर्ण

कक्षा आधारित शिक्षकों की सेवा नहीं ली जा रही है। इस संदर्भ में राँची विश्वविद्यालय, राँची से विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सेवा दे रहे नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षकों के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत यह अवलोकित हुआ कि राँची विश्वविद्यालय एवं इसके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में कुल 124 नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षकों की सेवा ली जा रही है।

5. उक्त आलोक में झारखण्ड नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षक संघ द्वारा प्राप्त आवेदन एवं राँची विश्वविद्यालय, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत राँची विश्वविद्यालय एवं इसके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में सेवा दे रहे नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षकों को आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक अन्तर्गत सेवा प्राप्त करने के संबंध में निम्न दिशा निर्देश निर्गत किया जाता है:–

(i) विभागीय संकल्प सं0 1755, दिनांक–10.09.2015 के आलोक में राँची विश्वविद्यालय एवं इसके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में सेवा दे रहे नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षकों की सेवा आवश्यकताधारित शिक्षक के रुप में प्राप्त करने हेतु विभागीय पत्रांक–162 दिनांक–16.02.2024 तथा पत्रांक–285 दिनांक–22.02.2024 के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकताधारित शिक्षकों की सेवा प्राप्त करने से संबंधित विज्ञापन में नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(iii) UGC के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे शिक्षकों के शैक्षणिक अनुभव की गणना विभागीय संकल्प सं0 1755 दिनांक 10.09.2015 के आलोक में सेवा दी जाने वाली तिथि से की जायेगी।

(iv) वैसे शिक्षक जिनकी सेवा की अनुशंसा आवश्यकता आधारित (Need Based Teachers) शिक्षक के रुप में विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जायेगी, उनकी सेवा संकल्प निर्गत की तिथि से समाप्त मानी जाएगी।

(v) विभागीय संकल्प सं0–1755 दिनांक–10.09.2015 के तहत् सेवा दे रहे शिक्षकों के मानदेय का भुगतान संकल्प निर्गत होने की तिथि की अवधि तक किया जायेगा।

(vi) विभागीय संकल्प संख्या–1755, दिनांक–10.09.2015 को प्रस्तुत संकल्प के निर्गत होने की तिथि से निरस्त माना जायेगा।

6. प्रस्ताव पर दिनांक–14.10.2024 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–14 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:–आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

14.10.24

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–5/यो 01–11/2015 (अंश) 1609 /राँची, दिनांक 14/10/2024

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस), झारखण्ड, डोरण्डा, राँची/ई–गजट, नोडल पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14.10.24
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/यो 01–11/2015 (अंश) 1609 राँची, दिनांक– 14/10/2024

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.10.24
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/यो 01–11/2015 (अंश) 1609 राँची, दिनांक– 14/10/2024

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, विधि विभाग/सचिव, वित्त विभाग/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी ई–ऑफिस परियोजना, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू/बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद/डॉ॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची/झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची/जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.10.24
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।
R.Ray